164/2016 मोतीराम VS स्वरूपाराम वगैरा

वादीगण

01.6.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अदल बदल केम्प ग्रा.पं. धूनारीका लेड़ा में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस तामिल प्राप्त हुई। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं उपस्थित। वादीगण की पहचान श्री हीराराम चौधरी, कृषि पर्यवेक्षक धूनारीका लेड़ा द्वारा की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की पहचान श्री भैरूलाल ग्राम विकास अधिकारी धूनारीका लेड़ा द्वारा की गई है। विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया और वादीगण संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी सं. 01 एवं स्वरूपाराम व भगाराम के बयानात कलमबद्ध कर शामिल मिसल किये। नक्शा - खिनवारी की जांच रिपोर्ट शामिल मिसल की गई। राजीनामा की बहस सुनी गई। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी

① मोतीराम
② स्वरूपाराम
③ नरसाराम
④ कानूराम
⑤
⑥ लेहरे
पेमा

पहचानकर्ता

प्रतिवादी सं01
स्वरूपाराम

भैरूलाल

भगाराम
सांवलाराम

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत केम्प स्थल–अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.जूनामीठा खेड़ा)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–164 / 2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.मोटाराम 2.खुमाराम 3.नरसाराम 4.बाबुराम पिसरान सवाराम 5.लेहरो पुत्री सवाराम पत्नि चेलाराम 6.पेपो पुत्री सवाराम पत्नि जगमालराम जाति कलबी निवासी भावगिरीजी का मीठा (जूनामीठा खेड़ा) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.सवाराम पुत्र लिछमणाराम जाति कलबी निवासी भावगिरीजी का मीठा (जूनामीठा खेड़ा) 2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–01.6.2018

1.संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान है। प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि ग्राम भावगिरीजी का मीठा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 485 / 1,601,601 / 2 कुल रकबा 43–10 बीधा एवं ग्राम जूनामीठाखेड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 215,258 / 3 कुल रकबा 112–14 बीघा भूमि अवस्थित है। प्रतिवादी संख्या 01 को भूमि वादीगण के दादा लिछमणाराम से वारिसान के रूप में मिली है। और वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 के साथ बहिस्सा बराबर मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें प्रत्येक थोक का 1 / 7,1 / 7 हिस्सा है। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत दादा की सम्पति में पोते पिता के जीवनकाल में भी हक हिस्सा ले सकते है। इस कारण

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी

वादीगण द्वारा यह वाद पेश कर वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार करार होने एवं प्रत्येक थोक का 1/7,1/7 हिस्सा धोषित करवानें हेतु यह वाद पेश किया गया है।

2.वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबध में राजीमाना पेश किया गया। एंव वादग्रस्त भूमि के संबध में तथ्यात्मक जांच रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.वादी साक्ष्य में वादीगण मोटाराम,खुमाराम,नरसाराम,बाबुराम व प्रतिवादी संख्या 01 सवाराम एवं स्वतंत्र गवाह सवाराम एवं भगाराम के बयानात कलमबद्व कर शामिल मिसल किये गये।

4.हमनें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की बहस सुनी। और बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार सिणधरी की जांच रिर्पोर्ट, बयानात,राजीनामा एवं राजस्व रिकार्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भावगिरीजी का मीठा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 485/1,601,601/2 कुल रकबा 43—10 बीघा एवं ग्राम जूनामीठाखेड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 215,258/3 कुल रकबा 112—14 बीघा भूमि वक्त सेन्टलमेन्ट वादीगण के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 01 (सवाराम) के पिता लिछमणाराम के नाम दर्ज हुई थी। जो पत्रावली के सलंग्न प्रथम खतौनी से प्रमाणित है। वादीगण के दादा लिछमणाराम के बाद वारिसान की हैसियत से खातेदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या 01 को प्राप्त हुई। जो पत्रावली के सलंग्न नामान्तकरण संख्या 102 के अवलोकन से प्रमाणित है। इससे साबित होता है,कि वादग्रस्त भूमि पैतृक एवं पुश्तैनी है। और हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत पुश्तैनी भूमि में हिन्दु को जन्म से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है,और पुश्तैनी भूमि में पिता के जीवनकाल में उसके पुत्र खातेदारी अधिकार धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत जरिये वाद प्राप्त कर सकते है। और वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार धोषित होने के हकदार है। एवं वादग्रस्त भूमि के संबध में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया है,जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 ने स्वीकार किया है,कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है,जो उसे वादीगण के दादा लिछमणाराम से प्राप्त हुई है,और स्वीकार किया है,कि वादी संख्या 01 से 4 पुत्र—5 व 6 पुत्रिया है। वादीगण का मेरे साथ 1/7,1/7 हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आर रहा है। इनको मेरे साथ सहखातेदार धोषित किया जाता है,तो मुझे कोई आपर्ति नहीं है। एवं वादीगण की

सहायक
सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

ओर से स्वतंत्र गवाह संवालाराम एवं भगाराम ने अपने अपने बयानो में स्वीकार किया है,कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01(सवाराम) के पुत्र–पुत्रिया है और वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 के साथ बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। एवं तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी रिर्पोट में स्पष्ट अंकन किया है,कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के वारिस है,और वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का बहिस्सा बराबर 1/7,1/7 हिस्सा है। एवं मजमें आम में इस संबध में पुछताछ करने पर उक्त तथ्यो की ताईद हुई।

लिहाजा वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम भावगिरीजी का मीठा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 485/1,601,601/2 कुल रकबा 43–10 बीधा एवं ग्राम जूनामीठाखेड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 215,258/3 कुल रकबा 112–14 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 (सवाराम) के साथ सहखातेदार धोषित करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक थोक का बहिस्सा बराबर 1/7,1/7 हिस्सा धोषित किया ज़ाता है। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 1–6–18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

मूलवाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत केम्प स्थल–अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत. ग्रा.प.जूनामीठा खेड़ा)

पीठासीन अधिकारीः–श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

उनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.मोटाराम 2.खुमाराम 3.नरसाराम 4.बाबुराम पिसरान सवाराम 5.लेहरो पुत्री सवाराम पत्नि चेलाराम 6.पेपो पुत्री सवाराम पत्नि जगमालराम जाति कलबी निवासी भावगिरीजी का मीठा (जूनामीठा खेड़ा) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.सवाराम पुत्र लिछमणाराम जाति कलबी निवासी भावगिरीजी का मीठा (जूनामीठा खेड़ा) 2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः–88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :–164/2016 निर्णय दिनांक :–01.6.2018

वादीगण की ओर से **स्वंय वादीगण** उपस्थिति व प्रतिवादी की ओर से **प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 2 की** उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख. 01.6. 2018 को **श्री अंजुम ताहिर सम्मा** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और **डिक्री दी जाती है** किः–वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम भावगिरीजी का मीठा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 485/1,601,601/2 कुल रकबा 43–10 बीधा एवं ग्राम जूनामीठाखेड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 215,258/3 कुल रकबा 112–14 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 (सवाराम) के साथ सहखातेदार धोषित करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक थोक का बहिस्सा बराबर 1/7,1/7 हिस्सा धोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

यह आज तारीख.. 1-6-18 . को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर को फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner